



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University, Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र

कुलसचिव

Dr. Rajendra Prasad Mishra
Registrar

दूरभाष./Phone : 07152-230902

फैक्स./Fax : 07152-247602

क्रमांक : ६१/रा.भा.३६/११/२०१५-१६
दिनांक : ०९.०८.२०१६

कार्यालय आदेश

राजभाषा अधिनियम, १९६३ की धारा ३(३) के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी तथा अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किए जाएंगे:-

- सामान्य आदेश
- अधिसूचनाएँ
- प्रेस विज्ञप्तियाँ
- संविदा
- करार
- अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)
- अनुज्ञा-पत्र (परमिट)
- निविदा फार्म
- निविदा सूचनाएँ
- संकल्प
- नियम
- संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और सरकारी कागजात
- प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन

राजभाषा नियम, १९७६ के नियम ६ के अनुसार "यह सुनिश्चित करना ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्तियों का दायित्व होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाएँ, निष्पादित अथवा जारी किए जाएँ।"

(डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र)

प्रतिलिपि :

१. कुलपति कार्यालय।
२. प्रतिकुलपति कार्यालय।
३. समस्त विद्यापीठ, केंद्र, कार्यालय, अनुभाग।
४. पंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय।
५. दूरस्त शिक्षा निदेशालय।
६. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
७. संबंधित फाइल।

लीला प्रभारी
महेश्वरी
०९/०८/१६

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - ४४२ ००१ (महाराष्ट्र) भारत

Post : Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha - 442 001 (Maharashtra), INDIA

वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org ई-मेल/Email : registrar@hindivishwa.org



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University, Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र

कुलसचिव

Dr. Rajendra Prasad Mishra

Registrar

दूरभाष./ Phone. : 07152-230902

फैक्स./ Fax : 07152-247602

No. : 59/रा.भा.अ./11/2015-16

Date : 09.08.2016

Office Order

As per the Section 3(3) of Official Language Act, 1963 the following documents shall be essentially issued both in Hindi and English languages :-

- General Orders
- Notifications
- Press Communiqués
- Contracts
- Agreements
- Licenses
- Permits
- Tender Forms
- Tender Notices
- Resolutions
- Rules
- Administrative and other reports and official papers to be laid before a House or the Houses of Parliament
- Administrative & other Reports

According to Rules 6 of the Official Language Rules, 1976 *"it shall be the responsibility of the persons signing such documents to ensure that such documents are made, executed or issued both in Hindi and in English."*

(Dr. Rajendra Prasad Mishra)

Copy to :

1. Vice-Chancellor's Office
2. Pro Vice-Chancellor's Office
3. All Schools, Centre's, Offices & Sections
4. Pandit Rahul Sankrityayan Central Library
5. Directorates of Distance Education
6. LILA Prabhari for upload to the university website.
7. Office file.

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र) भारत

Post : Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha - 442 001 (Maharashtra), INDIA

वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org ई-मेल/Email : registrar@hindivishwa.org